न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 160/2015
कलावती बनाम पुद्दन

18.09.2017

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 62ग2 के निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र 62ग2 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी के मकान के उत्तर तरफ प्रतिवादी की सहन भूमि है। उत्तर तरफ एक नाली सरकारी, पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है तथा इसी नाली से प्रतिवादी के घर के पानी का बहाव भी नाली निर्माण के बाद से हो रहा है। प्रतिवादी का कोई निकास या नाली का बहाव दक्षिण तरफ नहीं है। उक्त आशय के मुताबिक कमिश्नर महोदय से एक रिपोर्ट व नक्शा आहूत किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज सं0 64ग2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि पत्रावली में पहले से ही अमीन आख्या 37ग व 38ग मौजूद है, जिसके रहते दूसरे रिपोर्ट मंगवाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वादी का कथन कि प्रतिवादी के मकान का पानी सरकारी नाली में चला जाता है, जो कि काफी पुराना है, सही नहीं है। बल्कि सही यह है कि हम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर में जो स्थल जे,के,एल,एम से दिखाया गया है, उसी स्थान पर मकान बनने के समय से कायम है। वादी असामाजिक तत्वों की मदद से नाली को तोड़कर मिट्टी पाट दिए हैं, जिससे मकान का पानी अवरूद्ध हो गया था। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 62ग2 वादी द्वारा विवादित भूमि का सर्वे मैप बनवाये जाने के आशय से दिया गया है। पत्रावली पर अमीन रिपोर्ट 36ग2, नक्शा 37ग2 पहले से ही दाखिल है। अतः सर्वे कमिश्नर द्वारा सर्वे रिपोर्ट मंगवाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 62ग2 खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 62ग2 खारिज किया जाता है। वादी को जबाबुल जबाव हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जबाबुल जबाव/वादबिन्दु दिनांक 07.11.2017 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती